

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पर अद्वयत कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाने न कि किसी अन्य प्राधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पर वास्तव रूप से तो पर प्रत्यक्ष एवं विनाशक अन्तर्गत लिखा जाने विनाशक नहीं।



काल : ग्वालियर
दूरभाष : (0751) 2441596
(0751) 2442029
फैक्स : (0751) 2441704

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
सन्नाह: एफ/सम्बद्धता/2012/6052

दिनांक: 13/02/13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध कपोरेस जॉइंट एंगल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर (0751-2436601) को सत्र 2011-12 के लिये पोस्ट बेसिक बी.एस-सी. (नर्सिंग) प्रथम वर्ष (पुनः निर्देशन समिति मजबूत) एवं 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संवाहित पोस्ट बेसिक बी.एस-सी. (नर्सिंग) द्वितीय वर्ष, पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अत्याधिक सम्बद्धता हेतु अनुसूचित प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्वाधीन समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. एस.के. द्विवेदी, आचार्य, पुरातत्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442817)
- (2) डॉ. सुखदा शर्मा, प्राचार्या, बी.आई.एम.आर. जॉइंट नर्सिंग, ग्वालियर।
- (3) प्रो. डी.एन. जोसानी, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर।


निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचय 27/28 के उपबन्धों के अनुसार महाविद्यालय का प्रस्ताव निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, उचित सैमीनिक/असैमीनिक

क स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, भवन, प्रीम्ना परिसर एवं पाठ्यक्रम/प्रतिनिधि तथा विद्यते उन में ही गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/सैमीनिक एवं असैमीनिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसूचित अधिस्त करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पर क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये नये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विश्राम नहीं होगा एवं उष्ठा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शास्त्र के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्णरण्ड जना कराकर नवीन समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचय 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना उष्ठा को प्रवेश देना अवैध है।

निरीक्षण समिति को साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / लयलिंग सहायक प्रभारती लेऊ जायेगी तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेगी। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. सी.ए. / मानवेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावे। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. अनुवक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के साक्षे / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)